किस्म मुकदमा राजस्व वाद मुकदमा नम्बर 137/2024

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/11/24	प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री दीप मोहम्मद यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 53, 188 RT Act राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है । जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 16/12/2024 को पेश हो ।	
18/11/24	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। वादी स्वयं उपस्थित। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली पेशी पर लेते बाबत पेश कर निवेदन किया। उपरोक्त अतवान का वाद माननीय न्यायालय मे विचाराधीन है, जिसकी आगामी पेशी तारीख 16/12/2024 मुकर्रर है। उक्त अतवान के प्रकरण को आज पेशी तारीख पर लेने का आदेश फरमावे। वादी वकील के निवेदन पर पत्रावली आज पेशी पर ली गई। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र वास्ते वाद विड्रो करने बाबत् पेश कर निवेदन किया कि उक्त अतवान के प्रकरण मे हमारे गांव के मौजिज लोगों ने आपसी समझाईश करके राजीनामा करवा दिया है, इसलिए उक्त वाद को आगे चला[illegible] चाहते है तथा उक्त राजस्व वाद [illegible] करना चाहते हैं। निवेदन है कि वादी का प्रार्थना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:00:13 IST
Reason: SelfAttested

पत्र स्वीकार कर वाद को विड्रो करने का आदेश। फरमावें।

वादी वकील का प्रार्थना पत्र वास्ते ~~वास्ते~~ वाद विड्रो करने बाबत न्यायहित में स्वीकार करने योग्य है। अतः वादी का प्रार्थना पत्र वास्ते राजस्व वाद विड्रो करने वास्ते प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। उक्त वाद की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:00:13 IST
Reason: SelfAttested